अनुदान संख्या 92 – सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
GRANT No. 92 - DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	9557,57,00	9557,60,00	8136,83,93	-1420,76,07
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1419,55,73
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		546,00,00	100,00,00	- 446,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				446,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	5996.00	5131.86	5132.05	+0.19
पु.	R.	-864.14			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	96504.00			
पू.	S.	2.00	51313.67	51368.96	+55.29
पु.	R.	-45192.33			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	40700.00			
पू.	S.	1.00	33155.81	32982.30	-173.51
पु.	R.	-7545.19			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	39200.00			
			..	..	..
पु.	R.	-39200.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	769793.00			
			723032.88	723030.77	-2.11
पु.	R.	-46760.12			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	3560.00	1166.05	1166.05	..
पु.	R.	-2393.95			

(I) ₹49350.50 लाख का प्रावधान (सितम्बर, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सत्तरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹47950.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – सुधारात्मक सेवाएं" –

(क) "भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम" – ₹9000.00 लाख;

(ख) "समलैंगिक व्यक्तियों के लिए स्कीम" – ₹900.00 लाख; और

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "समाज कल्याण – अन्य कार्यक्रम" –

(i) "भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम" – ₹1000.00 लाख;

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹49350.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in September, 2020) remained wholly unutilised under seventeen heads; of these ₹47950.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare-Correctional Services"-

(a) "Integrated Programme for Rehabilitation of Beggars"- ₹9000.00 lakhs;

(b) "Scheme for Transgender Persons" - ₹900.00 lakhs; and

(B) Major Head "2552"-

(a) "Social Welfare-Other Programmes" -

(i) "Integrated Programme for Rehabilitation of Beggars" - ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-receipt of proposals.

(ii) "वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना" – ₹2000.00 लाख;

(ख) "समाज कल्याण – मद्यनिषेध – ड्रग की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य याजोना" – ₹2650.00 लाख;

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "अनुसूचित जातियों का कल्याण – शिक्षा" – ₹560.00 लाख;

(ii) "अनुसूचित जातियों का कल्याण – आर्थिक विकास" – ₹2400.00 लाख;

(iii) "अनुसूचित जातियों के विकास के लिए स्कीम" – ₹9340.00 लाख;

(iv) "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना" – ₹1400.00 लाख; और

(घ) "पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा – अन्य पिछड़े वर्गों और विमुक्त घुमन्तु जनजातियों तथा अर्धघुमन्तु जनजातियों के विकास के लिए स्कीम" – ₹18700.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आशिंक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" के अंतर्गत ₹863.95 लाख की बचत (₹5996.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कोविड–19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ii) "National Action Plan for Senior Citizen" - ₹2000.00 lakhs;

(b) "Social Welfare - Prohibition - National Action Plan for Drug Demand Reduction" - ₹2650.00 lakhs;

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Welfare of Scheduled Castes-Education" - ₹560.00 lakhs;

(ii) "Welfare of Scheduled Castes-Economic Development" - ₹2400.00 lakhs;

(iii) "Scheme for Development of Scheduled Castes" - ₹9340.00 lakhs;

(iv) "Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana" - ₹1400.00 lakhs; and

(d) "Welfare of Backward Classes - Education - Scheme for Development of Other Backward Classes and Denotified Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes"- ₹18700.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat-Ministry of Social Justice and Empowerment" - saving of ₹863.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5996.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "2225" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "अनुसूचित जातियों का कल्याण" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्तियां" – ₹845.92 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।

(ii) "अनुसूचित जातियों के लिए मुफ्त कोचिंग" – ₹1743.46 लाख की बचत (₹2940.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कोचिंग संस्थानों का संचालन न होने के कारण हुई।

(iii) "अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" – ₹18100.24 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(iv) "हाथ से मैला ढोने वालों (मेहतरों) के पुनर्वास के लिए स्वारोजगार स्कीम" – ₹9119.96 लाख की बचत (₹10780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हाथ से मैला ढोने वालों (मेहतरों) की कम संख्या में पहचान किए जाने के कारण हुई।

(v) "अनुसूचित जाति स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" – ₹4219.11 लाख की बचत (₹9800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2225" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Welfare of Scheduled Castes" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Post Matric Scholarships"-saving of ₹845.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Union Territories without legislature.

(ii) "Free Coaching for SCs" - saving of ₹1743.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2940.00 lakhs) was due to non-operation of coaching institutes owing to COVID-19 pandemic.

(iii) "National Fellowship for SCs" - saving of ₹18100.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from University Grants Commission.

(iv) "Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers" - saving of ₹9119.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10780.00 lakhs) was due to identification of less manual scavengers.

(v) "Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes" - saving of ₹4219.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9800.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to COVID-19 pandemic.

(vi) "अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति" – ₹5152.09 लाख की बचत (₹5200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(खा) "पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा – अन्य पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" – ₹8700.00 लाख की बचत (₹12000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(गा) "सामान्य – निदेशन और प्रशासन" –

(क) "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग" – ₹916.83 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग" – ₹569.29 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों को न भरे जाने और कोविड–19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "सुधारात्मक सेवाएं – राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान" – ₹612.25 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3500.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से संस्थानों द्वारा कम कार्यकलापों किए जाने के कारण हुई।

(vi) "Pre Matric Scholarship for SCs" - saving of ₹5152.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5200.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Union Territories owing to COVID-19 pandemic.

(B) "Welfare of Backward Classes- Education - Rajeev Gandhi National Fellowship for OBCs & EBCs" - saving of ₹8700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from University Grants Commission owing to COVID-19 pandemic.

(C) "General-Direction and Administration" -

(a) "National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes" - saving of ₹916.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs); and

(b) "National Commission for Safai Karamcharis" - saving of ₹569.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(IV) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Correctional Services-National Institute of Social Defence" - saving of ₹612.25 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3500.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in February, 2021) was due to less activities undertaken by the institutions owing to COVID-19 pandemic.

(खा) "अन्य कार्यक्रम – सूचना तथा जन शिक्षा प्रकोष्ठ" – ₹1522.36 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से विज्ञापन और प्रचार विभाग द्वारा कार्यकलापों को न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Programmes-Information and Mass Education Cell" - saving of ₹1522.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to non-taking up of activities by Department of Advertisement and Publicity owing to COVID-19 pandemic.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – अन्य संवेदनशील समूहों के विकास के लिए अम्बरेला कार्यक्रम (पिछड़े वर्ग और दिव्यांगजन सहित)" – ₹29806.17 लाख की बचत (₹168150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम" – ₹16956.06 लाख की बचत (₹601643.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes"- savings occurred under the following heads:-

(a) "Central assistance/Share-Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups (including Backward Classes and Differently Abled Persons)" - saving of ₹29806.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹168150.00 lakhs);

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes-Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes" - saving of ₹16956.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹601643.00 lakhs); and

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – अन्य कमजोर समूहों (पिछड़े वर्ग और दिव्यांगजनों सहित) के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम" – ₹1917.50 लाख की बचत (₹2050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(VI) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share-Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups (including Backward Classes and Differently Abled Persons)" - saving of ₹1917.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2050.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कोविड–19 महामारी की वजह से राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from the State Governments owing to COVID-19 pandemic.

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹778.48 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 32 और 60 प्रतिशत थीं।

(VII) Under two heads savings of ₹778.48 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 32 percent and 60 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹9223.85 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

(का) मुख्य शीर्ष "2225" —

(क) "अनुसूचित जातियों का कल्याण — अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" —

(i) "अनुसूचित जातियों के लिए उत्तम दर्जे की शिक्षा" — ₹1367.55 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1367.52 लाख था।

(ii) "अनुसूचित जातियों तथा अन्य श्रेणियों के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति" — ₹1000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1308.72 लाख था।

(iii) "वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना" — ₹1000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹999.75 लाख था।

(ख) "पिछड़े वर्गों का कल्याण — आर्थिक विकास — वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना" — ₹1000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹999.75 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" — "समाज कल्याण — वृद्ध, अशक्त और निराश्रित का कल्याण" —

(क) "राष्ट्रीय वयोश्री योजना" — ₹2550.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2549.75 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹9223.85 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in September, 2020 and February, 2021 - under the following major heads:-

(A) Major Head "2225" -

(a) "Welfare of Scheduled Castes-Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Top Class Education for SCs" - ₹1367.55 lakhs. Actual excess, however, was ₹1367.52 lakhs.

(ii) "Scholarship to Students of Scheduled Castes and Other Categories for Studies Abroad" - ₹1000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1308.72 lakhs.

(iii) "Vanchit Ikai Samooh aur Vargon ki Arthik Sahayata (VISVAS) Yojana" - ₹1000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹999.75 lakhs.

(b) "Welfare of Backward Classes-Economic Development-Vanchit Ikai Samooh aur Vargon ki Arthik Sahayata (VISAS) Yojana"- ₹1000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹999.75 lakhs.

(B) Major Head "2235" - "Social Welfare-Welfare of Aged, Infirm and Destitute"-

(a) "Rashtriya Vayoshri Yojana" - ₹2550.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2549.75 lakhs.

(ख) "वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना" – ₹2306.30 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2305.94 लाख था।

(b) "National Action Plan for Senior Citizens" - ₹2306.30 lakhs. Actual excess, however, was ₹2305.94 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4225"	Major Head "4225"				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	54600.00	10000.00	10000.00	..
पु.	R.	-44600.00			

(I) ₹6100.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹6000.00 लाख "सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि" के अंतर्गत कोविड–19 महामारी की वजह से स्कीम में प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹6100.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹6000.00 lakhs alone accounted for under "General-Investments in Public Sector and Other Undertakings-Venture Capital Fund for SCs and OBCs" - due to non-receipt of proposals in the scheme owing to COVID-19 pandemic.

(II) मुख्य शीर्ष "4225" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईंः–

(II) Under Major Head "4225" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(A) "Welfare of Scheduled Castes- Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि" – ₹3500.00 लाख की बचत (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से स्कीमों में प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) "कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम"– ₹18000.00 लाख की बचत (₹22000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम" – ₹17000.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत निगम के अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि न होने के कारण हुईं।

(a) "Venture Capital Fund for SCs to Industrial Finance Corporation of India" - saving of ₹3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals in the scheme owing to COVID-19 pandemic.

(b) "National Finance Development Corporation for Weaker Sections" - saving of ₹18000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22000.00 lakhs); and

(B) "General-Investments in Public Sector and Other Undertakings-National Finance Development Corporation for Weaker Sections" - saving of ₹17000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-enhancement of authorized share capital of the corporation.